

उत्तर प्रदेश शासन  
श्रम अनुभाग-2  
संख्या-16/2020/1881/छत्तीस-2-20-01(जी)/2020  
लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2020

नियुक्ति/ विज्ञप्ति

श्री छोटे लाल पासी (से0नि0 आई0ए0एस0) को औद्योगिक न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए नियुक्त करने तथा पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (6), गोरखपुर के पद पर तैनात करने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2. सम्बन्धित अधिकारी की नियुक्ति/सेवायें उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (सन् 1947 का अधिनियम संख्या-28), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (सन् 1947 का अधिनियम संख्या-14) के सुसंगत प्राविधानों तथा उ0प्र0 श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी (नियुक्ति एवं नियोजन की शर्तें) नियमावली, 1996 तथा इसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों में निहित प्राविधानों के अधीन होगी।

3. श्री छोटे लाल पासी (से0नि0 आई0ए0एस0) की उक्त नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन सिविल मिस0 याचिका संख्या-7206/2005, चन्द्रशेखर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

सुरेश चन्द्रा  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-16/2020/1881(1)/छत्तीस-2-20-01(जी)/2020. तददिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विभागाध्यक्ष, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
- 3- मण्डलायुक्त, गोरखपुर ।
- 4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 5- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 6- संयुक्त निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- 7- रजिस्ट्रार, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 8- औद्योगिक न्यायाधिकरण (6), गोरखपुर।
- 9- संबंधित कोषाधिकारी।
- 10- संबंधित अधिकारी को इस अभ्युक्ति के साथ कि वे अपनी तैनाती के स्थान पर दिनांक 16-10-2020 से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें यदि उनके द्वारा उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर नियुक्ति/तैनाती के इच्छुक नहीं हैं और उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 11- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 12- समस्त अनुभाग, श्रम।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

चिरौंजी लाल  
अनु सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।